(850)

कार्यालय कल्याण आयुक्त छत्तीसगढ़

छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल 41, आनंद नगर, शिव मंदिर के पास, रायपुर
E mail :- cg.lwb2014@gmail.com, Phone No. – 0771- 2443809 Fax No.- 2443809

// अधिसूचना //

दिनांक 29.7.16

कमांक एफ 10–17/2011/16/..13 दिनांक 24.09.2011 छत्तीसगढ़ श्रम निधि अधिनियम 1982 की धारा 33 (2) (ठ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 11 (2) दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा श्रम कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित योजना में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

1 **मृत्यु सहायता योजना :–**

(अ) योजना का प्रावधान –

(i) योजना का नाम श्रमिक दुर्घटना मृत्यु सहायता योजना 2016 होगा।

(ii) योजना के अन्तर्गत स्थापना/औद्योगिक संस्थान में कार्यरत श्रमिकों के दुर्घटनावश मृत्यु होने पर निम्नानुसार सहायता राशि प्रदान की जावेगी।

कमांक	वर्तमान सहायता राशि	संशोधित सहायता राशि
1	10,000/–	50,000/–

(iii) योजना के प्रावधान में किया गया संशोधन अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगा।

(ब) योजना हेतु पात्रता –

(i) योजना के अन्तर्गत स्थापना/औद्योगिक संस्थान में कार्यरत श्रमिक जो मंडल को अभिदाय देते है के दुर्घटनावश मृत्यु होने पर उनके परिवारजनों को मृत्यु सहायता राशि की पात्रता होगी।

(ii) योजना के अन्तर्गत स्थापना/औद्योगिक संस्थान में कार्यरत श्रमिक जो मंडल को अभिदाय देते है वे ई.एस.आई.सी. एवं भविष्य निधि संगठन में पंजीकृत नही है ऐसे कार्यरत् श्रमिकों के दुर्घटनावश मृत्यु होने पर ही उनके परिवारजनों को मृत्यु सहायता राशि की पात्रता होगी।

(स) **योजना हेतु आवेदन की प्रकिया –**

(i) आवेदन पत्र में श्रमिक के परिजनों (पत्नी, पुत्र / पुत्री अथवा अन्य परिजनों) में किसी एक का हस्ताक्षर होना चाहिये।

(ii) निर्धारित प्रारूप में आवेदन श्रम कल्याण मंडल में नियोक्ता के माध्यम से मृत्यु दिनांक से तीन माह (03 माह) के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

(द) **अन्य विवरण :–**

(i) इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर मंडल के कल्याण आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Asfa—

(अजितेश पाण्डेय)
कल्याण आयुक्त
छत्तीसगढ

पृ. क्रमांक एफ 10—17 / 2016 / 16 / 13/2262-2306 रायपुर, दिनांक 29/7/2016
प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय रायपुर (छ0ग0)।
2. निज सचिव, माननीय प्रमुख सचिव श्रम पदेन अध्यक्ष, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, रायपुर (छ0ग0)।
3. निज सचिव, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय रायपुर (छ0ग0)।
4. श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, रायपुर (छ0ग0)।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर।
6. सचिव, असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर (छ0ग0)।
7. सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी ....
8. उप संचालक / सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ....

Asfa—

(अजितेश पाण्डेय)
कल्याण आयुक्त
छत्तीसगढ़